Cooperative Press, Jaipur/2014

S. No. 2

12.45 Noon
21/3/14

ATTESTED
Manmohan Bir Singh
NOTARY
Sri Ganganagar (Raj.)

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961
(कानूनी नियम और आदेश)

प्ररूप 2 क

(नियम 4 देखिए)

नामनिर्देशन-पत्र
लोक सभा के लिए निर्वाचन

नीचे भाग 1 या भाग 2, इनमें से जो भी लागू न हो, उसे काट दें

भाग 1

(मान्यताप्राप्त राजनैतिक दल द्वारा खड़े किए गए अभ्यर्थी द्वारा उपयोग किया जाना है)

मैं लोक सभा के निर्वाचन के लिए .... संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र से अभ्यर्थी के रूप में निम्नलिखित को नामनिर्दिष्ट करता हूँ।

अभ्यर्थी का नाम ....

पिता/माता/पति का नाम ....

उसका डाक पता ....

उसका नाम .... संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र (में समाविष्ट विधान सभा निर्वाचन-क्षेत्र) की निर्वाचक नामावली के भाग सं. .... में क्रम सं. .... पर प्रविष्ट है।

मेरा नाम .... है जो .... संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र (में समाविष्ट .... विधान सभा निर्वाचन-क्षेत्र) की निर्वाचक नामावली के भाग सं. .... में क्रम सं. .... पर प्रविष्ट है।

(प्रस्थापक के हस्ताक्षर)

भाग 2

(मान्यताप्राप्त दल द्वारा खड़े न किए गए अभ्यर्थी द्वारा उपयोग किए जाने के लिए)

हम घोषणा करते हैं कि हम लोक सभा के निर्वाचन के लिए श्री गंगानगर संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र से निम्नलिखित को अभ्यर्थी के रूप में नामनिर्देशित करते हैं।

अभ्यर्थी का नाम तिलक सिंह

पिता/माता/पति का नाम श्री सौदागर सिंह

उसका डाक पता V.P.O. 25 F गुलाबेवाला तहसील श्री करणपुर जिला श्री गंगानगर

उसका नाम श्री गंगानगर (करणपुर) संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र *(में समाविष्ट विधान सभा निर्वाचन-क्षेत्र) की निर्वाचक नामावली के भाग संख्यांक 48 में क्रम संख्यांक 254 पर प्रविष्ट है।

हम घोषणा करते हैं कि हम उपरोक्त संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र के निर्वाचक हैं और हमारे नाम उस संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र के लिए निर्वाचक नामावली में जैसे कि नीचे उपदर्शित हैं, दर्ज हैं और हम इस नामनिर्देशन के नीचे प्रतीक स्वरूप अपने हस्ताक्षर करते हैं।

प्रस्थापकों की विशिष्टियां और उनके हस्ताक्षर

क्रम सं.	विधान सभा निर्वाचन-क्षेत्र घटक का नाम (प्रस्थापक का निर्वाचक नामावली संख्यांक)	निर्वाचक नामावली का भाग संख्यांक	उस भाग में क्रम सं.	पूरा नाम	हस्ताक्षर	तारीख
1	2	3	4	5	6	7
1.	करणपुर	47	477	राकेश कुमार	राकेश कुमार	20-3-14
2.	"	47	291	बुधराम	बुधराम	20-3-14
3.	"	47	294	निर्मला देवी	निर्मला देवी (अंगूठा)	20-3-14
4.	"	47	497	रामलाल	रामलाल	20-3-14
5.	"	47	498	मनफूलराम	मनफूलराम	20-3-14
6.	"	47	503	जस्सु राम	जस्सु राम	20-3-14
7.	"	47	326	ज्ञान कौर	ज्ञान कौर (अंगूठा)	20-3-14
8.	"	47	568	कालू राम	कालूराम	20-3-14
9.	"	47	230	बेअंत सिंह	बेअंत सिंह	20-3-14
10.	"	48	255	गुरलाल कौर	(अंगूठा)	20-3-14

कृपया ध्यान दें :-प्रस्थापक के रूप में निर्वाचन-क्षेत्र के 10 निर्वाचक होने चाहिए।

RTI ज्ञान कौर   RTI निर्मला देवी   गुरलाल कौर

RTI गुरलाल कौर

तिलक सिंह

भाग 3

मैं, भाग 1/भाग 2 (जो लागू न हो उसे काट दें) में उल्लिखित अभ्यर्थी इस नामनिर्देशन के लिए अपनी अनुमति देता हूँ और घोषणा करता हूं कि -

(क) मैंने ....72........ वर्ष की आयु पूरी कर ली है

[नीचे (ख) (i) या (ख) (ii) जो लागू न हो उसे काट दें]

(ख) (i) मुझे इस निर्वाचन में .... दल द्वारा खड़ा किया गया है, जो इस राज्य में मान्यताप्राप्त राष्ट्-ीय दल/राज्य दल है और उपरोक्त दल के लिए आरक्षित प्रतीक मुझे, आवंटित किया जाए।

या

(ख) (ii) मुझे इस निर्वाचन में ....आजाद........ दल द्वारा खड़ा किया गया है, रजिस्ट-ीकृत अमान्यताप्राप्त राजनैतिक दल है। मैं यह निर्वाचन स्वतंत्र अभ्यर्थी के रूप में लड़ रहा हूं (जो लागू न हो उसे काट दें) और मैंने जो प्रतीक चुने हैं वे अधिमान क्रम में (i) ....कप और प्लेट........ (ii) ....पतंग........ (iii) ....आटो रिक्शा........ हैं।

(ग) मेरा नाम और मेरे पिता/माता/पति का नाम ऊपर ....हिन्दी........ (भाषा का नाम) में सही रूप से लिखा गया है।

(घ) अपनी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार मैं लोक सभा का स्थान भरने के लिए चुने जाने के लिए अर्हित हूं और निरर्हित भी नहीं हूं।

* मैं यह भी घोषणा करता हूं कि मैं ** जाति/जनजाति का सदस्य हूं, जो ....राजस्थान........ राज्य के उस राज्य में के ....श्रीगंगानगर........ (क्षेत्र) के संबंध में अनुसूचित ***जाति/जनजाति है।

मैं यह भी घोषणा करता हूं कि मुझे लोक सभा के लिए निर्वाचन कराए जा रहे साधारण निर्वाचन/उप-निर्वाचन में दो से अधिक संसदीय निर्वाचन-क्षेत्रों में अभ्यर्थी के रूप में **** नामनिर्देशित नहीं किया गया है और न ही किया जाएगा।

तारीख 26/03/2014 — (अभ्यर्थी के हस्ताक्षर)

*जम्मू-कश्मीर, अंदमान और निकोबार द्वीप, चंडीगढ़, दादरा और नागर हवेली, दमन और दीव तथा लक्षद्वीप की दशा में ''में समाविष्ट विधान सभा निर्वाचन-क्षेत्र'' शब्द काट दीजिए।

** यदि लागू न हो तो इस पैरा को काट दीजिए।

*** लागू न होने वाले शब्द काट दीजिए।

**** जम्मू-कश्मीर, अंदमान और निकोबार द्वीप, चंडीगढ़, दादरा और नागर हवेली, दमन और दीव तथा लक्षद्वीप की दशा में लागू नहीं होगा।

---

[1][भाग 3क

(अभ्यर्थी द्वारा भरा जाए)

क्या अभ्यर्थी को -

(i) लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 8 की-

(क) उपधारा (1) के अधीन किसी अपराध (अपराधों) के लिए; या

(ख) उपधारा (2) में विनिर्दिष्ट किसी विधि के उल्लंघन के लिए,

सिद्धदोष ठहराया गया है; या — हां/नहीं

(ii) ऐसे किसी अन्य अपराध (अपराधों) के लिए सिद्धदोष ठहराया गया है, जिसके (जिनके) लिए उसे दो वर्ष या अधिक के कारावास से दंडित किया गया है

यदि उत्तर "हां" में है, तो अभ्यर्थी निम्नलिखित जानकारी देगा :

(i) मामला/प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्यांक .... लागू नहीं है

(ii) पुलिस थाना (थाने) ...... लागू नहीं ...... जिला (जिले) ...... लागू नहीं ...... राज्य ...... लागू नहीं

(iii) संबद्ध अधिनियम (अधिनियमों) की धारा (धाराएं) और उस अपराध (उन अपराधों) का संक्षिप्त विवरण, जिसके (जिनके) लिए उसे सिद्धदोष ठहराया गया था ...... लागू नहीं है

(iv) दोषसिद्धि (दोषसिद्धियों) की तारीख/तारीखें ...... लागू नहीं है

(v) वह (वे) न्यायालय जिसने (जिन्होंने) अभ्यर्थी को सिद्धदोष ठहराया था ...... लागू नहीं है

(vi) अधिरोपित दंड कारावास (कारावासों) की अवधि और/या जुर्माने (जुर्मानों) की राशि उपदर्शित करें ...... लागू नहीं है

(vii) कारागार से निर्मुक्ति की तारीख (तारीखें) ...... लागू नहीं है

(viii) क्या उपरोक्त दोषसिद्धि (दोषसिद्धियों) के विरूद्ध कोई अपील (अपीलें)/पुनरीक्षण फाइल किए गए थे : हां/नहीं

(ix) फाइल की गई अपील (अपीलों)/पुनरीक्षण आवेदन (आवेदनों) की विशिष्टियां ...... लागू नहीं है

(x) उस न्यायालय (उन न्यायालयों) का (के) नाम, जिसके (जिनके) समक्ष अपील (अपीलें)/पुनरीक्षण आवेदन फाइल किए गए थे ......

...... लागू नहीं है

(xi) क्या उक्त अपील (अपीलों)/पुनरीक्षण आवेदन (आवेदनों) का निपटारा हो गया है या वह/वे लंबित हैं ...... लागू नहीं है

(xii) यदि उक्त अपील (अपीलों)/पुनरीक्षण आवेदन (आवेदनों) का निपटारा हो गया है, तो-

(क) निपटारे की तारीख (तारीखें) ...... लागू नहीं है

(ख) पारित आदेश (आदेशों की प्रकृति) ...... लागू नहीं है

स्थान : श्रीगंगानगर

तारीख : 24-07-19

(अभ्यर्थी के हस्ताक्षर)]

NOTARY Manmohan Singh Sri Ganganagar (Raj.) Regd-F20(20) Jud./92 GOVT. OF RAJASTHAN (INDIA)

ATTESTED

भाग 4

(रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा भरा जाए)

नामनिर्देशन-पत्र की क्रम सं॰ ....02....

यह नामनिर्देशन मुझे/मेरे कार्यालय में ....21-03-2014.... (तारीख) को ....12.45 PM.... (बजे)

*अभ्यर्थी/प्रस्थापक द्वारा परिदत्त किया गया।

रिटर्निंग अधिकारी
संसदीय निर्वाचन क्षेत्र, [illegible] (अ.जा.)
(जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, [illegible])

तारीख ....21-03-2014....

रिटर्निंग ऑफिसर

भाग 5

नामनिर्देशन-पत्र को प्रतिगृहीत या रद्द करने वाले रिटर्निंग ऑफिसर का विनिश्चय

मैंने इस नामनिर्देशन-पत्र को लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 36 के अनुसार परीक्षित कर लिया है और मैं निम्नलिखित रूप में विनिश्चय करता हूं :-

तारीख ....

रिटर्निंग ऑफिसर

(छिद्रण) ....

---

*लागू न होने वाले शब्द काट दीजिए।

SPECIAL ADHESIVE

16 JAN 2014

Co-operative Press, Jaipur/1172/2013

"प्ररूप 26

(नियम 4क देखिए)

ATTESTED
Manmohan Bir Singh
NOTARY
Sri Ganganagar (Raj.)

................................श्री गंगानगर................................ निर्वाचन क्षेत्र से

(निर्वाचन क्षेत्र का नाम)

..............................लोक सभा.............................. (सदन का नाम) के लिए निर्वाचन के लिए रिटर्निंग ऑफिसर के समक्ष अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला शपथपत्र

भाग–क

मैं, ...तिलरासिंह...... ** पुत्र/पुत्री/पत्नी ......श्री सौदागर सिंह...... आयु ......72...... वर्ष, जो ......गांव 25 F गुलाबेवाला तहसील श्री करणपुर जिला श्री गंगानगर (राज.)...... (डाक का पूरा पता लिखें) का/की निवासी हूँ, और उपरोक्त निर्वाचन से अभ्यर्थी हू, सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूँ/करती हू, शपथ पर निम्नलिखित कथन करता हूं/करती हूं:-

(1) मैं, ...स्वतंत्र...... (** राजनैतिक दल का नाम) द्वारा खड़ा किया गया अभ्यर्थी/** एक स्वतंत्र अभ्यर्थी के रुप में लड़ रहा हूँ।

(** जो लागू न हों उसे काट दें)

(2) मेरा नाम ......श्री करणपुर...... (निर्वाचन क्षेत्र और राज्य का नाम) में भाग सं. ......48...... के क्रम सं. ......254...... पर प्रविष्ट है।

(3) मेरा संपर्क टेलीफोन नं. 09672213344 है/हैं और मेरा ई-मेल आईडी (यदि कोई हो तो) .... है, और मेरा सोशल मीडिया एकाउन्ट (यदि कोई हो तो)...................... है।

(4) स्थाई लेखा संख्यांक (पैन) के ब्यौरे और आय-कर विवरणी फाइल करने की प्रास्थितिः

क्रम सं.	नाम	पैन	वित्तीय वर्ष जिसके लिए अंतिम आयकर विवरणी फाइल की गई है।	आयकर विवरणी में उपदर्शित कुल आय (रूपए में)
1.	स्वयं	नहीं	नहीं.	नहीं
2.	पति या पत्नी	नहीं	नहीं	नहीं
3.	आश्रित 1	नहीं	नहीं	नहीं
4.	आश्रित 2	नहीं	नहीं	नहीं
5.	आश्रित 3	नहीं	नहीं	नहीं

(5) मैं ऐसे किसी लंबित मामले में दो वर्ष या अधिक के कारावास से दंडनीय किसी अपराध (अपराधों) का/की अभियुक्त नहीं हूं जिसमें सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा आरोप विरचित किया गया है/किए गए हैं।

यदि अभिसाक्षी ऐसे किसी अपराध (अपराधों) का/की अभियुक्त है तो वह निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत करेगा/करेगीः-

ATTESTED
Manmohan Bir Singh
NOTARY
Sri Ganganagar (Raj.)

तिलरासिंह

(i) निम्नलिखित मामला (मामले) मेरे विरुद्ध लंबित है जिसमें दो वर्ष या अधिक के कारावास से दंडनीय किसी अपराध के लिए न्यायालय द्वारा आरोप विरचित किया गया है/किए गए हैं।

(क)	मामला/प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या/संख्याओं सहित संबंधित पुलिस थाना/जिला/राज्य के पूर्ण ब्यौरे	लागू नहीं होता
(ख)	संबंधित अधिनियम (अधिनियमों) की धारा (धाराएं) और अपराध (अपराधों) का संक्षिप्त विवरण जिसके (जिनके) लिए आरोपित किया गया है	लागू नहीं होता
(ग)	न्यायालय का नाम, मामला संख्या और संज्ञान लेने के आदेश की तारीख	लागू नहीं होता
(घ)	न्यायालय जिसके (जिनके) द्वारा आरोप (आरोपों) की विरचना की गई	लागू नहीं होता
(ङ)	तारीख (तारीखें) जिनको आरोप विरचित किए गए थे	लागू नहीं होता
(च)	क्या सभी या कोई कार्यवाही किसी सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा रोकी गई है/हैं	लागू नहीं होता

(ii) निम्नलिखित मामला (मामले) मेरे विरुद्ध लंबित है/हैं जिनमें न्यायालय द्वारा संज्ञान लिया गया है [पूर्वोक्त मद (i) में वर्णित मामलों से भिन्न] :-

(क)	न्यायालय का नाम, मामला संख्या और संज्ञान लेने के आदेश की तारीख	लागू नहीं होता
(ख)	उन मामलों के ब्यौरे जहां न्यायालय ने संज्ञान लिया है, अधिनियम (अधिनियमों) की धारा (धाराएं) और अपराध (अपराधों) का संक्षिप्त विवरण जिसके (जिनके) लिए संज्ञान लिया गया है	लागू नहीं होता
(ग)	पूर्वोक्त आदेश (आदेशों) के विरुद्ध पुनरीक्षण के लिए फाइल की गई अपील (अपीलों)/आवेदन (आवेदनों) (यदि कोई हों) के ब्यौरे	लागू नहीं होता

(6) मुझे किसी अपराध (अपराधों) (लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 8 की उपधारा (1) या उपधारा (2) में निर्दिष्ट या उपधारा (3) के अंतर्गत आने वाले किसी अपराध (अपराधों) से भिन्न, के लिए सिद्धदोष ठहराया गया है/नहीं ठहराया गया है और एक वर्ष या अधिक के लिए कारावास का दंडादेश दिया गया है/नहीं दिया गया है:

यदि अभिसाक्षी उपर्युक्त रूप में सिद्धदोष ठहराया गया और दंडादिष्ट किया गया है तो वह निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत करेगा:

निम्नलिखित मामलों में मुझे सिद्धदोष ठहराया गया है और न्यायालय द्वारा कारावास का दंडादेश दिया गया है:

(क)	उन मामलों के ब्यौरे अधिनियम (अधिनियमों) की धारा (धाराएं) और अपराध (अपराधों) का संक्षिप्त विवरण जिसके (जिनके) लिए सिद्धदोष ठहराया गया है	लागू नहीं होता
(ख)	न्यायालय (न्यायालयों) का नाम, मामला संख्या और आदेश (आदेशों) की तारीख (तारीखें)	लागू नहीं होता
(ग)	अधिरोपित दंड	लागू नहीं होता
(घ)	क्या सिद्धदोष ठहराने के आदेश के विरुद्ध कोई अपील फाइल की गई थी/है। यदि हां, तो अपील के ब्यौरे और वर्तमान प्रास्थिति	लागू नहीं होता

(7) मैं मेरे, मेरे पति या पत्नी और सभी आश्रितों की आस्तियों (जंगम और स्थावर आदि) के ब्यौरे नीचे देता हूँ :

अ. जंगम आस्तियों के ब्यौरे :

टिप्पण 1 – संयुक्त स्वामित्व की सीमा को उपदर्शित करते हुए संयुक्त नाम में आस्तियों का भी विवरण दिया जाना है।

टिप्पण 2 – जमा/विनिधान की दशा में क्रम सं., रकम, जमा की तारीख, स्कीम, बैंक/संस्था का नाम और शाखा सहित ब्यौरे दिए जाने हैं।

टिप्पण 3 – सूचीबद्ध कंपनियों के संबंध में बंधपत्रों/शेयर डिबेंचरों का मूल्य स्टॉक एक्सचेंजों में चालू बाजार मूल्य के अनुसार और गैर सूचीबद्ध कंपनियों की दशा में लेखाबहियों के अनुसार दिया जाना चाहिए।

टिप्पण 4 – यहां आश्रित का वही अर्थ है जो उसका लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 75क के अधीन स्पष्टीकरण

NOTARY Manmohan Bir Singh Sri Ganganagar (Raj.) Regd. F20(20) 92 GOVT. OF RAJASTHAN (INDIA)

टिप्पण 5 – ब्यौरे प्रत्येक विनिधान के संबंध में पृथकतया दिए जाते हैं।

क्रम सं.	विवरण	स्वयं	पति या पत्नी	आश्रित-1	आश्रित-2	आश्रित-3
(i)	हाथ में नकदी	1000/-	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
(ii)	बैंक खातों में जमा के ब्यौरे (नियत जमा, आवधिक जमा और अन्य सभी प्रकार के जमा जिसमें बचत खाते भी हैं), वित्तीय संस्थाओं, गैर बैंककारी वित्तीय कंपनियों और सहकारी सोसाइटियों के पास जमा और ऐसे प्रत्येक जमा में रकम	500/-	नहीं	शून्य	शून्य	शून्य
(iii)	कंपनियों/पारस्परिक निधियों और अन्य में बंधपत्रों, डिबेंचरों/शेयरों तथा यूनिटों में विनिधान के ब्यौरे और रकम	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
(iv)	राष्ट्रीय बचत योजना, डाक बचत, बीमा पालिसियों में विनिधान के ब्यौरे और डाकघर या बीमा कंपनी में किन्हीं वित्तीय लिखतों में विनिधान और रकम	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
(v)	किसी व्यक्ति या निकाय जिसमें फर्म, कंपनी, न्यास आदि को दिए गए वैयक्तिक ऋण/अग्रिम और ऋणियों से अन्य प्राप्य तथा रकम	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
(vi)	मोटरयान/वायुयान/याट/पोल (मेक, रजिस्ट्रीकरण संख्या आदि क्रय करने का वर्ष और रकम)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
(vii)	जेवरात, बुलियन और मूल्यवान वस्तु (वस्तुएं) (भार और मूल्य के ब्यौरे)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
(viii)	कोई अन्य आस्तियां जैसे कि दावे/हित का मूल्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
(ix)	समग्र कुल मूल्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

ATTESTED

Manmohan Bir Singh NOTARY Sri Ganganagar (Raj.)

तनरसिंह

आ. स्थावर आस्थियों के ब्यौरे

टिप्पण 1 – संयुक्त स्वामित्व की सीमा को उपदर्शित करते हुए संयुक्त नाम में आस्तियों का भी विवरण दिया जाना है।

टिप्पण 2 – प्रत्येक भूमि या भवन या अपार्टमेन्ट का इस प्रारूप में पृथकतया वर्णन किया जाना चाहिए।

क्रम सं.	विवरण	स्वयं	पति या पत्नी	आश्रित–1	आश्रित–2	आश्रित–3
(i)	कृषि भूमि की अवस्थिति (अवस्थितियां) सर्वेक्षण संख्यांक (संख्याएं)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	क्षेत्र (एकड़ में कुल माप)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	क्या विरासत में आई संपत्ति है (हां या नहीं)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	स्वार्जित संपत्ति की दशा में क्रय की तारीख	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	क्रय के समय भूमि की लागत (क्रय की दशा में)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	विकास, संनिर्माण आदि के माध्यम से भूमि पर कोई विनिधान	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	''अनुमानित चालू बाजार मूल्य''	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
(ii)	गैर कृषि भूमि : अवस्थिति (अवस्थितियां) सर्वेक्षण संख्यांक (संख्याएें)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	क्षेत्र (वर्ग फुट में कुल माप)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	क्या विरासत में आई संपत्ति है (हां या नहीं)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	स्वार्जित संपत्ति की दशा में क्रय की तारीख	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	क्रय के समय भूमि की लागत (क्रय की दशा में)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	विकास, संनिर्माण आदि के माध्यम से भूमि पर कोई विनिधान	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	''अनुमानित चालू बाजार मूल्य''	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
(iii)	वाणिज्यिक भवन (अपार्टमेन्ट सहित) अवस्थिति (अवस्थितियां) सर्वेक्षण संख्यांक (संख्याएें)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	क्षेत्र (वर्ग फुट में कुल माप)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	निर्मित क्षेत्र (वर्ग फुट में कुल माप)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	क्या विरासत में आई संपत्ति है (हां या नहीं)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	स्वअर्जित संपत्ति की दशा में क्रय की तारीख	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	क्रय के समय भूमि की लागत (क्रय की दशा में)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

सतवीरसिंह

	विकास, संनिर्माण आदि के माध्यम से संपत्ति पर कोई विनिधान	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	''अनुमानित चालू बाजार मूल्य''	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
(iv)	आवासीय भवन (अपार्टमेंट सहित) अवस्थिति (अवस्थितियां) सर्वेक्षण संख्यांक (संख्यांकों)	गांव 25 F सुनवाला वाला में	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	क्षेत्र (वर्ग फुट में कुल माप) 20 X 100	20x100 फुट	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	निर्मित क्षेत्र (वर्ग फुट में कुल माप)	20×12 फुट	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	क्या विरासत में आई संपत्ति है (हां या नहीं)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	स्वअर्जित संपत्ति की दशा में क्रय की तारीख	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	क्रय के समय भूमि की लागत (क्रय की दशा में)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	विकास, संनिर्माण आदि के माध्यम से भूमि पर कोई विनिधान	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	''अनुमानित चालू बाजार मूल्य''	40000/-	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
(v)	अन्य (जैसे कि संपत्ति में हित)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
(vi)	पूर्वोक्त (i) से (v) का कुल चालू बाजार मूल्य	40,000/-	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

(8) मैं, लोक वित्तीय संस्थाओं और सरकार के प्रति दायित्वों/को शोध्यों के ब्यौरे नीचे देता हूं:-

(टिप्पण: कृपया बैंक, संस्था, निकाय या व्यष्टिक के नाम और उनमें प्रत्येक के समक्ष रकम के ब्यौरों का पृथक विवरण दें)।

क्रम सं.	विवरण	स्वयं	पति या पत्नी	आश्रित-1	आश्रित-2	आश्रित-3
(i)	बैंक/वित्तीय संस्था (संस्थाओं) को ऋण या शोध्य बैंक या वित्तीय संस्था का नाम, बकाया रकम, ऋण की प्रकृति	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	पूर्वोक्त वर्णित से भिन्न किन्हीं अन्य व्यष्टिकों, निकाय को ऋण या शोध्य नाम, बकाया रकम, ऋण की प्रकृति	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	कोई अन्य दायित्व	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	दायित्वों का कुल योग	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

ATTESTED
Manmohan Bir Singh
NOTARY
Sri Ganganagar (Raj.)

तारासिंह

(ii)	सरकारी शोध्य : सरकारी आवास से बरतने वाले विभागों को शोध्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	जल आपूर्ति से बरतने वाले विभाग को शोध्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	विद्युत आपूर्ति से बरतने वाले विभाग को शोध्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	टेलीफोन/मोबाइल आपूर्ति से बरतने वाले विभाग को शोध्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	सरकारी परिवहन (वायुयान और हेलिकॉप्टर सहित) से बरतने वाले विभाग को शोध्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	आय-कर शोध्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	धनकर शोध्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	सेवाकर शोध्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	नगरपालिका/संपत्ति कर शोध्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	विक्रयकर शोध्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	कोई अन्य शोध्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
(iii)	सभी सरकारी शोध्यों का कुल योग	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
(iv)	क्या कोई अन्य दायित्व विवादाधीन है, यदि हां तो अंतर्वलित रकम और उस प्राधिकारी जिसके समक्ष यह लंबित है का वर्णन करें।	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

NOTARY * (INDIA) Manmohan Bir Singh SriGanganagar (Raj.) Regd-F20(20) Jud./92 * GOVT. OF RAJASTHAN

(9) वृत्ति या उपजीविका के ब्यौरे :

(क) स्वयं ......मजदूरी......

(ख) पति या पत्नी ......गृहणी......

(10) मेरी शैक्षिक अर्हता नीचे दिए अनुसार है:-

......[illegible]......

(प्रमाणपत्र/डिप्लोमा/डिग्री पाठ्यक्रम के पूर्ण प्ररूप का उल्लेख करते हुए उच्चतम विद्यालय/विश्वविद्यालय शिक्षा के ब्यौरे देते हुए विद्यालय/महाविद्यालय/विश्वविद्यालय का नाम और उस वर्ष जिसमें पाठ्यक्रम पूरा किया गया था, का ब्यौरा दें)

भाग–ख

(11) भाग-क के (1) से (10) तक में दिए गए ब्यौरों का उद्धरण

1.	अभ्यर्थी का नाम	श्री/श्रीमती/कु तिलरसिंह
2.	डाक का पूरा पता	गांव 25 F गुलाबवाला तह. करणपुर
3.	निर्वाचन क्षेत्र की संख्या और नाम तथा राज्य	01
4.	उस राजनैतिक दल का नाम, जिसने अभ्यर्थी को खड़ा किया है (अन्यथा 'स्वतंत्र' लिखें)	स्वतंत्र

ATTESTED 21/3/14 Manmohan Bir Singh NOTARY Sri Ganganagar (R)

तिलरसिंह

5.	(i) ऐसे लंबित मामलों की कुल संख्या जिनमें दो वर्ष या अधिक के कारावास से दंडनीय अपराधों के लिए द्वारा आरोप विरचित किए गए हैं।	लागू नहीं	
	(ii) ऐसे मामलों की कुल संख्या जिनमें न्यायालय (न्यायालयों) ने संज्ञान लिया है [ऊपर मद (i) उल्लिखित मामलों से भिन्न]	लागू नहीं	
6.	ऐसे कुल मामलों की संख्या जिनमें सिद्धदोष ठहराया गया एक वर्ष या उससे अधिक के लिए कारावास से और दंडित किया गया है। [लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 8 की उपधारा (1), उपधारा (2) या उपधारा (3) में निर्दिष्ट अपराधों के सिवाए]	लागू नहीं	
7.	.... का स्थायी लेखा सं.	वह वर्ष जिसके लिए अंतिम आयकर विवरणी फाइल की गई है	कुल दर्शित आय
	(क) अभ्यर्थी — शून्य	शून्य	शून्य
	(ख) पति या पत्नी — शून्य	शून्य	शून्य
	(ग) आश्रित — शून्य	शून्य	शून्य

8. आस्तियों और दायित्वों के ब्यौरे (रुपए में)

		विवरण	स्वयं	पति या पत्नी	आश्रित-1	आश्रित-2	आश्रित-3
क.		जंगम आस्तियां (कुल मूल्य)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
ख.		स्थावर आस्तियां	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	I.	स्वार्जित स्थावर संपत्ति की क्रय कीमत	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	II.	क्रय के पश्चात् स्थावर संपत्ति की विकास संनिर्माण लागत (यदि लागू हो)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	III.	निम्नलिखित की अनुमानित वर्तमान बाजार कीमत	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
		(क) स्वार्जित आस्तियां (कुल मूल्य) (ख) विरासती आस्तियां (कुल मूल्य)	40,000/-	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
9.		दायित्व					
	(i)	सरकारी शोध्य (कुल)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	(ii)	बैंक, वित्तीय संस्थाओं और अन्य से ऋण (कुल)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
10.		ऐसे दायित्व जो विवादाधीन हैं					
	(i)	सरकारी शोध्य (कुल)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	(ii)	बैंक, वित्तीय संस्थाओं और अन्य से ऋण (कुल)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
11.		उच्चतम शैक्षिक अर्हता स्नातक (प्रमाणपत्र/डिप्लोमा/डिग्री पाठ्यक्रम के पूर्ण प्ररूप का उल्लेख करते हुए उच्चतर विद्यालय/विश्वविद्यालय शिक्षा, विद्यालय/महाविद्यालय/विश्वविद्यालय का नाम और वर्ष जिसमें पाठ्यक्रम पूरा किया गया था, का ब्यौरे दे।)					

ATTESTED

तिलक सिंह

Manmohan Bir Singh
NOTARY
Sri Ganganagar (Raj.)

सत्यापन

मैं, ऊपर उल्लिखित, अभिसाक्षी इसके द्वारा यह सत्यापन और घोषणा करता हूं कि इस शपथपत्र की विषय-वस्तु मेरी र जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य और सही है, और इसका कोई भाग मिथ्या नहीं है तथा इसमें से कोई भी तात्विक तथ्‍ छिपाया गया है। मैं यह और घोषणा करता हूं कि:-

(क) मेरे विरुद्ध ऊपर भाग क और ख की मद 5 और 6 में उल्लिखित दोषसिद्धि का मामला या लंबित मामले से भिन्न दोषसिद्धि का मामला या लंबित मामला नहीं है;

(ख) मेरे पति या पत्नी या मेरे आश्रितों के पास ऊपर भाग क की मद 7 और 8 तथा भाग ख की मद 8, 9 और 10 में उल्लि आस्ति या दायित्व से भिन्न कोई आस्ति या दायित्व नहीं है।

आज तारीख 20/03/2014 को सत्यापित किया गया।

अभिसाक्षी

NOTARY (INDIA) Manmohan Bir Singh SriGanganagar(Raj.) Regd-F20(20) Jud./92 GOVT.OF RAJASTHAN

ATTESTED

Manmohan Bir Singh NOTARY Sri Ganganagar (Raj.)

टिप्पण : 1. शपथपत्र नामांकन फाइल करने के अंतिम दिन को 3.00 अपराह्न तक फाइल किया जाना चाहिए।

टिप्पण : 2. शपथपत्र पर किसी शपथ कमिश्नर या प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट के समक्ष या किसी नोटेरी पब्लिक के समक्ष शपथ ली जानी चाहिए।

टिप्पण : 3. सभी स्तंभों को भरा जाना चाहिए और कोई स्तंभ खाली न छोड़े, यदि किसी मद के संबंध में देने के लिए कोई जानकारी नहीं है तो, यथास्थिति ''शून्य'' या ''लागू नहीं होता'' उल्लिखित किया जाना चाहिए।

टिप्पण : 4. शपथपत्र टंकित या सुपाठ्यरूप से साफ-साफ लिखित होना चाहिए।

[फा. सं. एच.-11019 (6)/2012-वि. II]

डॉ. संजय सिंह, अपर सचिव

टिप्पण : मूल नियम अधिसूचना संख्यांक का. आ. 859, तारीख 15 अप्रेल, 1961 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और उनमें अंतिम बार निम्नलिखित अधिसूचनाओं द्वारा संशोधन किया गया-

(1) संख्यांक का. आ. 728 (अ), तारीख 8 मई, 2007 ।

(2) संख्यांक का.आ. 425 (अ), तारीख 23 फरवरी, 2011 ।